AAO
ई
26

संख्या– 134 /I-1/03/(08)03/2019

28/5/21

216
02/6/21

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–1

देहरादून : दिनांकः 27 मई, 2021

विषयः– वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य योजना के अन्तर्गत उरेडा को लघु जल विद्युत एवं सुधारित घराट योजना हेतु रू0 139.69 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– संख्या–346/उरेडा/9–1(228)/2020, दिनांक 25.06.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) के नियंत्रणाधीन बद्रीनाथ लघु जल विद्युत परियोजना (1250 किलोवाट) के Renovation & Modernization के कार्यों हेतु टी0ए0सी0, नियोजन विभाग द्वारा संस्तुत आगणन धनराशि रू0 139.69 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य योजना मद से **प्रथम किश्त** के रूप में रू0 55.876 लाख (रू0 पच्चपन लाख सत्तासी हजार छः सौ मात्र) की धनराशि संलग्नक–1 में वर्णित लेखाशीर्षकों के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. प्रश्नगत कार्य के लिए आबंटित धनराशि तभी एवं उसी मात्रा में आहरित कर व्यय की जायेगी जहां जैसा राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अनुदान/सब्सिडी दिये जाने को अनुमन्य किया गया हो, अन्यथा धनराशि आहरित/व्यय नहीं की जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का बिल निदेशक, उरेडा द्वारा तैयार कर सहायक विद्युत निरीक्षक, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित के उपरान्त देहरादून कोषागार में आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक, उरेडा द्वारा सम्बन्धित जिलों को धनराशि प्रेषित की जायेगी एवं जनपदवार प्रेषित की गई धनराशि की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि आहरण कर उसे 31–03–2022 तक व्यय कर लिया जायेगा एवं अनावश्यक रूप से धनराशि को बैंकों में पार्किंग कर नहीं रखा जायेगा।
3. यदि भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी अन्य स्रोत से प्रश्नगत कार्य हेतु कोई धनराशि अवमुक्त/प्राप्त की गयी है तो प्रथमतः उक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय/सदुपयोग किये जाने के उपरान्त ही वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
4. उरेडा द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत मानकों के अनुरूप उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ई–निविदा आमंत्रित की जायेगी। ई–निविदा में प्राप्त दरों के सम्बन्ध में निदेशक उरेडा द्वारा सम्यक् विचारोपरांत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ई–निविदा के माध्यम से कार्य हेतु प्राप्त दरें बाजार में प्रचलित दरें एवं गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त ई–निविदा दरें के अनुसार युक्तियुक्त हों। दरों की युक्तियुक्तता को सुनिश्चित किये जाने हेतु निदेशक, उरेडा उत्तरदायी होंगे।
5. धनराशि का व्यय करते समय क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थ का ध्यान रखते हुये धनराशि के व्यय के उपरान्त कराये गये कार्यों का विवरण शासन के समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जाएगा।

6. उक्त कार्य हेतु प्रथमतः बद्रीनाथ जल विद्युत परियोजना की 625 कि0वॉ की बंद यूनिट का Renovation & Modernization का कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त यूनिट का कार्य पूर्ण होने एवं यूनिट उत्पादन की स्थिति में आने के उपरान्त दूसरी कार्यशील यूनिट का कार्य आरम्भ किया जायेगा।
7. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभागीय कार्यक्रम प्रभारी/अधिकारी तथा निर्माण एजेन्सी/सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
8. उक्त योजनाओं के सापेक्ष अगली किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व योजनावार उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय एवं कार्य स्थल पर भौतिक प्रगति का प्रमाण पत्र शासन को त्रैमासिक उपलब्ध कराया जाय।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार ही कोषागार से किश्तों में आहरण किया जायेगा।
10. संलग्न विवरणानुसार लेखा शीर्षकों के अंतर्गत स्वीकृत की गई धनराशि व्यय करते समय यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जल विद्युत की रिनोवेशन आदि योजनाओं में लाभार्थी अंश की व्यवस्था कर ली गई हो तथा राज्यांश सहित सभी स्रोतों से व्यय धनराशि, परिव्यय एवं लागत की सीमान्तर्गत हो।
11. उरेडा द्वारा उक्तानुसार प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।
12. व्यय करने से पूर्व बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 तथा शासन के मितव्ययता सम्बन्धी तद्विषयक आदेशों तथा वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 423 दिनांक 31.03.2021 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–21, 30 एंव 31 के अंतर्गत लेखाषीर्शक 2810–वैकल्पिक ऊर्जा के राजस्व मद के संलग्नक–1 में उल्लिखित सुसंगत मानक मदों के नामे में डाला जाएगा।

3) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–30/XXVII(2)/2021–22 दिनांक 12 मई, 2021 द्वारा उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

पृ0सं0: /I-1/03/(08)03/2019,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखंड, देहरादून।
2– जिलाधिकारी, देहरादून।
3– कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग।
5– सहायक विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, देहरादून।
6– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8– गार्ड फाईल।

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या–134/I-1/03/(08)03/2019, दिनांक 27 मई, 2021 का संलग्नक–1

अनुदान सं0	लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2021–22 में बजट व्यवस्था (रू0 लाख में)	मांग की गयी धनराशि (रू0लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली 40%धनराशि (रू0लाख में)
21	अनुदान सं0–21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2810–वैकल्पिक ऊर्जा 800–अन्य व्यय–0101–लघु जल विद्युत एवं सुधारित घराट योजना (90:10)–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	228.00	122.69	49.076
30	लेखाशीर्षक–2810–वैकल्पिक ऊर्जा 800–अन्य व्यय–0202–लघु जल विद्युत एवं सुधारित घराट योजना (2810608000201 से स्थानान्तरित)–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	50.00	10.00	4.00
31	लेखाशीर्षक–2810–वैकल्पिक ऊर्जा 800–अन्य व्यय–03–लघु जल विद्युत एवं सुधारित घराट योजना 0301–उरेडा को सहायता (2810607960301 से स्थानान्तरित)–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	5.00	7.00	2.8
कुल योग		283.00	139.69	55.876

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)

Secretary-Secretary, Power(S037)

HOD-Director Electrical Safety(2093)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-031

आवंटन आई डी-S21050310041
आवंटन पत्र दिनांक-27-MAY-2021

लेखा शीर्षक		
	2810-वैकल्पिक उर्जा	00-0
	800-अन्य व्यय	03-लघु जल विद्युत एव सुधारित घराट योजना
	01-उरेडा को सहायता (2810607960301 से स्थानांतरित)	Voted

2	8	1	0	0	0	8	0	0	0	3	0	1

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	280000	0	280000
योग	0	280000	0	280000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.2,80,000 (Rupees Two Lacs Eighty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव
ऊर्जा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)

Secretary-Secretary, Power(S037)

HOD-Director Electrical Safety(2093)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-021

आवंटन आई डी-S21050210002
आवंटन पत्र दिनांक-27-MAY-2021

लेखा शीर्षक

2810-वैकल्पिक उर्जा
800-अन्य व्यय
01-लघु जल विद्युत एवं सुधारित घराट योजना (2810-60-600-01-01 से स्थानान्तरित)(90:10)

00-0
01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
Voted

2	8	1	0	0	0	8	0	0	0	1	0	1

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	4907600	0	4907600
योग	0	4907600	0	4907600

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.49,07,600 (Rupees Forty Nine Lacs Seven Thousand Six Hundred Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव
ऊर्जा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)

Secretary-Secretary, Power(S037)

HOD-Director Electrical Safety(2093)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-030

आवंटन आई डी-S21050300028
आवंटन पत्र दिनांक-27-MAY-2021

लेखा शीर्षक

2810-वैकल्पिक उर्जा
800-अन्य व्यय
02-लघु जल विद्युत एवं सुधारित घराट योजना (2810608000201 सेस स्थानांतरित)

00-0
02-सोलर इनर्जी

Voted

2	8	1	0	0	0	8	0	0	0	2	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	400000	0	400000
योग	0	400000	0	400000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.4,00,000 (Rupees Four Lacs Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव
ऊर्जा विभाग
उत्तराखण्ड शासन